राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

<u>प्रार्थना पत्र सं.</u> 29/2017

मनोहर सिंह पुत्र स्व. मदन सिंह उम्र 61 वर्ष जाति राजपूत निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.........प्रार्थी

ब–ना–म

1. रामसिंह
2. बागसिंह
3. छगन सिंह
4. झाबर सिंह

} पि0 स्व. मदन सिंह जाति राजपूत निवासी बड़ाऊ तह0 खेतड़ी।

5. तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र– अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय **दिनांक 12–03–2021**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम बड़ाऊ स्थित भूमि हाल खाता संख्या 307 खसरा नंबर 885 रकबा 2.03 है., ख.नं. 1144 रकबा 0.25 है., ख.नं. 1293 रकबा 1.45 है., ख.नं. 1336 रकबा 0.02 है., ख.नं. 1337 रकबा 2.12 है., ख.नं. 1338 रकबा 1.25 है., ख.नं. 2388/1162 रकबा 0.05 है. कुल किता 7 कुल रकबा 7.17 है. पक्षकारान के पिता का दिनांक 05.02.2013 व माताजी का दिनांक 22.10.2015 को देहान्त होनके उपरान्त तथा पक्षकारान की बहिन गोविन्द कंवर का निधन होने पर उसकी पुत्रियों का प्रश्नगत भूमि में हिस्सा दर्ज होने के बाद उनके द्वारा पक्षकारान के हक में दिनांक 26.04.2017 को अपना हिस्सा हस्तानान्तरण कर दिया गया है। इस वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार ग्राम बड़ाऊ स्थिल हाल जमाबंदी संवत् 2069–2072 खाता सं. 306 खसरा नंबर 287 रकबा 2.29 है., ख.नं. 88 रकबा 3.76 है. कुल किता 2 कुल रकबा 6.05 है. में प्रार्थी, अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 तथा पक्षकरान की बहिन स्व. गोविन्द कंवर की पुत्रियां क्रमशः ज्योति, पूजा व लक्ष्मी के नाम खातेदारी दर्ज हो गई थी। लेकिन उनके द्वारा पक्षकारन सं. 1 से 4 के हक में दिनांक 26.04.2017 को अप्रार्थी सं. 5 के हयां उपस्थित होकर स्वेच्छासे अपना हिस्सा हस्तानांतरित कर दिया है तथा पक्षकारान प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 4 के माता–पिता का देहान्त हो गया है। प्रार्थी इस प्रश्नगत भूमि में 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 इस प्रश्नगत भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं एवं अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है लेकिन प्रार्थी नौकरी के सिलसिले से परिवार सहित बीकानेर में रहता है। प्रार्थी ने अपने पिता के जीवनकाल में शामलाती प्रश्नगत भूमि में कुआ एवं पम्प सेट [illegible] कर कुए पर बिजली लगवायी एवं कुआ खुदवाया उसमें सम्पूर्ण पैसा प्रार्थी ने ही [illegible]। कुए का पानी सूखने पर नयी मैदानी बोर सन् 2010 में प्रार्थी [illegible] से बढ़वाकर 20 एचपी करवाया जिसका भी समस्त खर्चा प्रार्थी ने [illegible]। परन्तु अब पक्षकार[illegible] पिता की मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण के मन में बेईमानी आ [illegible] और वे प्रार्थी को [illegible] भूमि में उसके 1/5 हिस्से की भूमि को ना तो काश्त करने देते हैं ना ही उसमें पैदावार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:18:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनूं)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

हिस्सा देते हैं ना ही फसल की बंटाई देते हैं तथा ट्यूब वैल से आस–पड़ौस के खेतों वालों को 500 रू. प्रति घण्टा के हिसाब से पानी देते हैं। न्यायालय श्रीमान् जी द्वारा प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला मानकर दिनांक 05.11.2015 को प्रश्नगत भूमि वाके ग्राम बड़ाऊ खाता सं. 306 व 307 में प्रार्थी के हिस्से की भूमि को कुर्क करने का आदेश जारी कर अप्रार्थी सं. 5 को रिसीवर (प्रापक) नियुक्त किया गया था। जिसकी पालना में तहसीलदार, खेतड़ी ने आदेश दिनांक 05.11.2015 की तथाकथित रूप से नाम मात्र की पालना भी करदी थी। लेकिन अभी तक मौके पर न तो कब्जेराज ली है व ना ही काश्त की व्यवस्था की है। परन्तु उक्तानुसार प्रश्नगत भूमि अभी तक संयुक्त खातेदारी की है अविभाजित है प्रत्येक खसरा नंबर व उसके रकबा पर पक्षकारान प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 का संयुक्त कब्जा है। अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 प्रार्थी के हिस्से की भूमि व उसमें बने नलकूपों का अवैध रूप से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति हो रही है जिसका कभी मुद्रा में मूल्यांकन नहीं हो सकता है। न्यायालय श्रीमान जी ने दिनांक 05.11.2015 को प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में मानकर प्रार्थी के हिस्से पर रिसीवर नियुक्ति के आदेश पारित किया है तथा उसके आदेश दिनांक 05.11.2015 के विरूद्ध अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 ने अपील भी सक्षम न्यायालय में नहीं की है। इसलिए यह प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है व सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि –

(क) वाके ग्राम बड़ाऊ स्थित भूमि खाता सं. 306 खसरा नंबर 287 रकबा 2.29 है., ख.नं. 88 रकबा 3.76 है. कुल किता 2 कुल रकबा 6.05 है. व खाता सं. 307 के खसरा नंबर 885 रकबा 2.03 है., ख.नं. 1144 रकबा 0.25 है., ख.नं. 1293 रकबा 1.45 है., ख.नं. 1336 रकबा 0.02 है., ख.नं. 1337 रकबा 2.12 है., ख.नं. 1338 रकबा 1.25 है., ख.नं. 2388/1162 रकबा 0.05 है. कुल किता 7 कुल रकबा 7.17 है. सम्पूर्ण भूमि व उसमें बने नलकूपों को तादौराने दावा कुर्क फरमाया जाकर तहसीलदार, खेतड़ी को रिसीवर (प्रापक) नियुक्त किया जावे।

(ख) प्रार्थना पत्र के अनुतोष खण्ड सं. (क) में दर्ज भूमि में से वादी के 1/5 हिस्से की भूमि व उसमें बने नलकूप की अप्रार्थीगण से नगद प्रतिभूमि सिंचित दर सालाना 5,00,000/–रू. अक्षरे पांच लाख रू. की दर प्रार्थी को दिलवाई जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 ने ही अपने पिता के जीवनकाल में कुआ तथा पम्प सैट का खर्चा करके कुए पर बिजली लगवायी एवं कुआ खुदवाया उसमें सम्पूर्ण खर्चा अप्रार्थीगण ने लगाया था। प्रार्थी ने अपने हिस्से का खर्चा भी नहीं दिया था। अप्रार्थीगण के मन में किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं है तथा प्रार्थी का 1/5 हिस्सा अप्रार्थीगण ने छोड़ रखा है जो हमेशा बंजर पड़ा रहता है। अप्रार्थीगण ने किसी भी प्रकार से प्रार्थी के हिस्से पर कब्जा नहीं कर रखा है तथा प्रार्थी अपने हिस्से का खर्चा बोरिंग का अप्रार्थीगण को देता है तो वह बोरिंग में हिस्सेदार बन सकता है। तहसीलदार, खेतड़ी ने मौके पर सही जांच कर सही पालना रिपोर्ट बनाई थी तथा [illegible] ने हमेशा से छोड़ रखा है जो हमेंशा बंजर पड़ा रहता है। प्रार्थी के हिस्से [illegible] को कोई लाभ नहीं हो रहा है बल्कि अप्रार्थीगण अपने हिस्से [illegible] अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी [illegible] कर प्रार्थी को आदेश दिया जावे कि ग्राम बड़ाऊ स्थित विवादित भूमि में अप्रार्थीग[illegible]के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें तथा ना ही अप्रार्थीगण के हिस्से की जमीन से नगद प्रतिभूमि की मांग करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:18:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनू)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई, वकील प्रार्थी ने कथन किया कि मेरे मुवक्लि के लिए बुरी जमीन छोड़ रखी है अतः अच्छी में अच्छी तथा बुरी में बुरी जमीन दिलाई जावे। वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि हम हमारे 4/5 हिस्से पर काबिज हैं तथा प्रार्थी के 1/5 हिस्से की जमीन हमने छोड़ रखी है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं बहस सुनने के बाद स्पष्ट है कि ग्राम बड़ाऊ स्थित भूमि खाता सं. 306 खसरा नंबर 287 रकबा 2.29 है., ख.नं. 88 रकबा 3.76 है. कुल किता 2 कुल रकबा 6.05 है. व खाता सं. 307 के खसरा नंबर 885 रकबा 2.03 है., ख.नं. 1144 रकबा 0.25 है., ख.नं. 1293 रकबा 1.45 है., ख.नं. 1336 रकबा 0.02 है., ख.नं. 1337 रकबा 2.12 है., ख.नं. 1338 रकबा 1.25 है., ख.नं. 2388/1162 रकबा 0.05 है. कुल किता 7 कुल रकबा 7.17 है. में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार हैं। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया है कि उनके मुवक्लि को खराब जमीन दे रखी है अतः अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी जमीन दिलाई जावे। लेकिन उक्त अनुतोष पर निर्णय दावे की सम्पूर्ण सुनवाई के पश्चात् ही गुणावगुण के आधार पर किया जा सकता है। विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की है अतः इसमें किसी भी एक सहखातेदार (पक्ष) का मामला प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित नहीं होता है, लेकिन हम यह उचित मानते हैं कि दावे के निस्तारण तक सभी सहखातेदारों को मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए समस्त खातेदारान को पाबंद किया जाता है कि वे ताफैसला वाद विवादित आराजीयात के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। विवादित भूमि सहखातेदारी की होने के कारण कुर्की, रिसीवर नियुक्त करने एवं नकद प्रतिभूमि दिलाने सम्बंधी अनुतोष खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12–03–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:18:35 IST
Reason: SelfAttested